न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 39 / 2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मूर्ति मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी विराजमान वार्ड नं. 11 नया [illegible] के अन्दर सीकर तहसील व जिला सीकर जरिये पुजारी दीनदयाल पुत्र [illegible]शदास उर्फ जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 33 मोहल्ला डालियों का बास सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पाला आयु 60 साल पुत्र खींवा।

2 गोरधन आयु 30 साल पुत्र खींवा समस्त जाति माली निवासीगण राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।

3 कैलाशचन्द शर्मा आयु 46 साल पुत्र बिड़दीचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चुवास तहसील फतेहपुरा जिला सीकर।

4 श्रीमती मणी देवी आयु 35 साल पत्नी नन्दलाल जाति जांगिड़ निवासी ताजसर तहसील फतेहपुरा जिला सीकर।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सीकर।

6 उप पंजियक सीकर।

7 श्रीमती संतोष पायल पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी लोडीपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सीकर दिनांकित 03.04.2013 मुकदमा नम्बर 264/2007
उनवानी मूर्ति मन्दिर मुरली मनोहरजी बनाम पाला
जिसके द्वारा चिर अव्यस्क मूर्ति मन्दिर का दावा बाबत
उद्घोषणा खातेदारी कब्जे एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188,183राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं दुरूस्ती
इन्द्राजात इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम को खारिज फरमा दिया गया

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 264/2007 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा उदघोषणा कब्जा प्राप्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 738, 740,741,1299/780, 1300/780, 1301/807, 1302/807 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं आदेश 2 नियम 2 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया है

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि इन्ही भूमियों के बाबत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दावा संख्या 225/2011 में दिनांक 09.11.2011 को इस वाद के वादी के हक में निर्णय किया जा चुका है। पुन यह वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से ग्रसित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वादी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पूर्व में पारित निर्णय का अवलोकन किये बिना वादी का वाद सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद निर्णय वाद संख्या 225/2011 निर्णय दिनांक 09.11.2011 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद तहसीलदार द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था जबकि विचाराधीन वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188,183 के अन्तर्गत उदघोषणा के साथ–साथ कब्जे एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया था। पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद के पक्षकारों में भी अन्तर है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण पर धारा 11 एवं आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के प्रावधान लागु नही होते है। अत विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वाद मूर्ति मन्दिर श्री मुरलीमनोहर जी की और से ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 258/1,258/2,307/1,315 जिनके नये खसरा नम्बर 738,740,1299/780,1300/780,1301/807, 1302/807 मूर्ति मन्दिर को खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में वादग्रस्त भूमियों के बाबत माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 225/2011 बउनवानी तहसीलदार बनाम मूर्ति मन्दिर ग्राम राधाकिशनपुरा में दिनांक 09.11.2011 को निर्णय पारित किया जाकर वादग्रस्त भूमियों को मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी अंकित कर रिकार्ड दुरूस्ती किये

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाने का निर्णय पारित किया जा चुका है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विवाधक का विचारण नही करेगा, जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों को बीच विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है तथा किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दो बार न्यायालय में खड़ा नही किया जा सकता, इसलिए प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय का सिद्वान्त से ग्रसित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। वाद के वादी मूर्ति मंदिर द्वारा चाही गई सहायता न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णित वाद संख्या 225/2011 निर्णय दिनांक 09.11.2011 में प्राप्त हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद पोषणीय नही होने व रेसजुडीकांटा के सिद्वान्त से हिट होने के कारण चलने योग्य नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विवेचन किया है कि " पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न इसी न्यायालय द्वारा निर्णित वाद संख्या 225/2011 निर्णय दिनांक 09.11.2011 की प्रति पेश की, जिसका अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी मूर्ति मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी की और से पुजारी दीनदयाल द्वारा ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 738,740,741,1299/780, 1300/780, 1301/807, 1302/807 कुल किता 7 कुल रकबा 4.92 हैक्टेयर की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री मुरली मनोहर के नाम उद्घोषणा करवाये जाने की सहायता चाही है, जो इसी न्यायालय द्वारा निर्णित वाद संख्या 225/2011 जो माफी मंदिर द्वारा तहसीलदार सीकर द्वारा पेश किया गया में पारित निर्णय

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 09.11.2011 के द्वारा दी जा चुकी है तथा निर्णय में स्पष्ट रूप से मूर्ति मन्दिर के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गए है। ऐसी परिस्थिति में जब इसी न्यायालय से वाद की विषय वस्तु के बाबत व वादी द्वारा चाही गयी सहायता के बाबत निर्णय दिया जा चुका है, तो एक ही वाद विषय वस्तु के लिए पक्षकारों जो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में खड़ा करना उचित नहीं है तथा प्रस्तुत वाद व पूर्व में निर्णित वाद की विषय वस्तु व विवाधक भी समान ही है" यह विवेचन कर विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है। हमारे मत में विचारण न्यायालय का यह विवेचन एवं निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर